UPAL010022712026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1034 सन् 2026

राजेन्द्र पुत्र स्व0 किशन लाल निवासी–ग्राम अरनी थाना खैर, जनपद– अलीगढ़।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....वादी/विपक्षी

आदेश

1– जमानत प्रार्थना पत्र **प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र स्व0 किशनलाल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–85/2026, धारा–140(1),352,351(3),61(2) भारतीय न्याय संहिता , थाना खैर, जिला अलीगढ़** के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि करीब चार माह पूर्व वादिनी रंजना देवी का लडका सचिन व गांव के हेमन्त कुमार की बहन की बहन को भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में हेमन्त कुमार द्वारा थाना खैर पर मुकदमा लिखा दिया गया था बाद में हेमन्त की बहन अपने घर आ गयी इसी बात की रंजिश को लेकर दिनांक–07.02.2026 को करीब सुबह सवा दस बजे वादिनी का लडका सचिन बाल कटाने अरनी चौराहा पर गया था । वही से वादिनी के लडके सचिन को हेमन्त पुत्र राजेन्द्र व विनोद पुत्र प्रेमपाल द्वारा जबरन अपहरण कर मारपीट कर गाली–गलौज करते हुए बुलट साईकिल संख्या–यूपी81बीडी–5428 पर बैठा कर ले गये है। वादिया को यह शक है कि उसके लडके के साथ कोई अनहोनी घटना न कर दे इस घटना में हेमन्त के पिता राजेन्द्र का पूरा षडयंत्र है।

3– अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि घटना की रिपोर्ट दस घण्टे बाद देरी से सलाह मशवरा कर दर्ज करायी गयी है। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तीन मिनट बाद लगभग 20.30 बजे रात्रि को इगलास गौण्डा रोड पर दो व्यक्तियों के साथ जिसमें एक अभियुक्त व दूसरा हेमन्त को बुलट मोटर साईकिल सहित अपहृत सचिन को बरामद कर लिया गया तथा तीसरा व्यक्ति विनोद को भागता हुआ बताया गया है पुलिस की बनायी गयी कहानी कतई फर्जी है। अभियुक्त की पुत्री मनीषा का अपहरण के सम्बन्ध मे अभियुक्त द्वारा दिनांक– 29.09.2025 को मुकदमा अपराध संख्या–667 सन 2025 के तहत अपनी बहन मनीषा के दिनांक–27.09.2025 को सचिन द्वारा अपहरण करने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज

कराया गया था जिसमें पुलिस द्वारा सचिन से मनीषा की बरामदगी कर उसे दिनांक–16.10.2025 को जेल भेजा गया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक–27.10.2025 को अपहृत सचिन की जमानत निरस्त कर दी गयी थी इस रंजिश के कारण अभियुक्त को षडयंत्रकारी के रूप में इस मुकदमें में झूंठा फंसाया गया है। जेल से रिहा होने के बाद मनीषा की शादी होने के बाद दिनांक–07.02.2026 को सुबह अरनी चौराहे पर उक्त सचिन, मनीषा के भाईयों से लडाई झगड़ा करने लगा और मनीषा को अर्नगल व झूठे आरोप लगाकर बदनाम कर रहा था जिसे थाने ले जाने की घटना हुई थी इस घटना में अभियुक्त उपस्थित नही था बाद में थाना पुलिस द्वारा बुलाकर अभियुक्त को इस मामलें में फर्जी बरामदगी दर्शाकर दिनांक–08.02.2026 को झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। अभियुक्त द्वारा षंडयंत्र रचे जाने का कोई साक्ष्य व स्वतंत्र गवाह नही है। अभियुक्त पर गांव की पार्टी बन्दी व रंजिश के कारण नो इंजरी केस मुकदमा अपराध संख्या–830/2023 धारा 323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत थाना खैर के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नही है। उक्त मामलें मे तीन वर्ष पूर्व से अभियुक्त जमानत पर रिहा है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नही है। अरनी चौराहे पर सुबह 10.15 बजे सचिन द्वारा की गयी मारपीट की घटना की 112 नम्बर पर सूचना दी गयी थी जिस पर पुलिस ने कोई मामला दर्ज नही किया बल्कि सचिन और उसकी मॉ के साथ मिलकर बाद सलाह मशवरा फर्जी बरामदगी दर्शाकर अभियुक्त को इस झूठे केस में फंसाया गया है। अभियुक्त का मामलें मे दर्शायी गयी बुलट मोटर साईकिल से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। अभियुक्त दिनांक–08.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त बीमार, कमजोर व गरीब व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा सम्बन्धित केस डायरी एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार वादिनी के पुत्र सचिन अभियुक्त हेमन्त की बहन को भगा कर ले गया था और बाद में अभियुक्त की बहन अपने घर आ गयी थी उसी रंजिश को लेकर दिनांक–07.02.2026 को सुबह सवा दस बजे जब वादिनी का पुत्र सचिन अपने बाल कटाने अरनी चौराहे पर गया था तभी सचिन का हेमन्त व विनोद द्वारा अपहरण कर लिया गया। घटना में अभियुक्त हेमन्त के पिता राजेन्द्र का भी षडयंत्र होना अंकित किया गया है। घटना के सी.सी.टी.वी. फुटेज के अनुसार सैलून की दुकान पर बैठे व्यक्ति को बहार खींच कर लाते हुए मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे है, बाद में उस व्यक्ति को जबरदस्ती अपनी बुलट मोटर साईकिल पर बैठाकर गोण्डा बिरखू रोड़ की तरफ जाते हुए दिखाई देते है। सी.सी.

टी.वी. के अनुसार दो व्यक्ति हेमन्त व विनोद का नाम प्रकाश में आया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा दिनांक–07.02.2026 को मुखविर की सूचना पर यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण बुलट मोटर साईकिल मय अपहरत के इगलास की तरफ से गौण्डा की तरफ आ रहे है जिस पर पुलिस फोर्स की मदद से बुलट सवार व्यक्ति आते दिखायी दिये रोकने का प्रयास करने पर बुलट सवार व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया तो बल प्रयोग कर दो व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। अपहृत सचिन द्वारा बताया गया कि यह लोग मारने के लिए ले जा रहे थे, पकडे गये व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अभियुक्त राजेन्द्र को मौके पर गिरफ्तार किया गया। वादी मुकदमा द्वारा धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है। अपहृत सचिन द्वारा भी धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में घटना का समर्थन किया गया है और अभियुक्त की सक्रिय भूमिका होना कहा है। अभियुक्त सचिन की आघात आख्या के अनुसार उसके निम्न चार चोटे आना दर्शित किया गया है–

1. Abrasion 1X1 cm on latral aspect of left arm just 5 CM below from tip of left shoulder joint.
2. Abrasion 2X2 Cm on postrior aspect of left leg just 4CM above from left foot heel.
3. Abrasion 1CM on left side neck just 4CM below from left ear.
4. Complain of pain in neck and abdomen.

Opinion- Above mentioned injuries are simple in nature. First Aid given.

उक्त प्रकरण में अभियुक्त के कब्जे से अपहृत का बरामद होना कहा गया है तथा घटना में अभियुक्त की सक्रिय भूमिका होना दर्शित किया गया है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त नही है।

आदेश

अभियुक्त **राजेन्द्र** की ओर प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–07.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता. मनोज कुमार ;(आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.07 14:56:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court